न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः– 50/2023 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/112), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. हरी सिंह } पुत्रगण रामचन्द
2. गोपी }
3. गोपाल पुत्र तुरसी
4. अमर सिंह } पुत्रगण हरी सिंह
5. बलवीर }

जातियान जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

–वादीगण

बनाम

1. महावीर
2. वीरपाल } पुत्रगण लेखराज
3. सुरेश
4. सत्यप्रकाश }
5. सत्यवती
6. सावित्री } पुत्रियां लेखराज
7. जनकेश }

जातियान जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 10.02.2025**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 1240/0.82, वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग में स्थित है। हरीसिंह,तुरसी,लेखराज,गोपी पिस0 श्री रामचन्द चार भाई थे। जिनमें से तुरसी का बर्ष 1993 में देहांत हो गया है। जिसका वारिस वादी संख्या 3 है। लेखराज पुत्र रामचन्द का दिनांक 19.06.2023 को देहांत हो गया जो लावल्द विला औरत फौत हुआ है। जिसने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम में अन्य आराजीयात के साथ वादी संख्या 4 व 5 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2006 को क्रय कर लिया और लेखराज के हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है। प्रति0 के पिता लेखराज पुत्र श्री खुशीराम का सन 1984 में देहांत हो गया। जिसके वारिस प्रति0 है। साविक आराजी खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग में रामजीलाल,ननुआ पिस0 खुशीराम वाहिस्सा वरावर 1/3 हिस्सा एवं लेखराज पुत्र खुशीराम 2/3 हिस्सा का, साविक

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आराजी खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 2349 रकबा 1 वीघा 05 विस्वा वाके ग्राम सिनसिनी में रामजीलाल,ननुआ,लेखराज पिस0 खुशीराम जाति जाट नि0 सिनसिनी प्रत्येक 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। जिसका भू–प्रबंध विभाग वालों ने भू–प्रबंध के दौरान हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 बनाया है। रामजीलाल,लेखराज पिस0 खुशीराम जाति जाट नि0 सिनसिनी तहसील डीग ने साविक आराजी खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा में से रामजीलाल ने अपना 1/6 हिस्सा तथा प्रति0 के पिता लेखराज ने अपना सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा कुल 2 वीघा 6 विस्वा एवं साविक आराजी खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा में रामजीलाल एवं लेखराज ने अपना 2/3 वीघा यानि प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्सा यानि 19 विस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1980 को वादी संख्या 3 के पिता तुरसीराम वादी संख्या 1 व 2 व मृतक लेखराज पुत्र रामचन्द को 4500रूपये में विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा व दखल दे दिया। रामजीलाल पुत्र खुशीराम जाति जाट नि0 सिनसिनी ने आराजी खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा में से 1/3 हिस्सा अन्य साविक आराजी खसरा नम्बरान 2343, 1814, 1815 के साथ दिनांक 24.06.1981 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तुरसी,हरीसिंह,लेखराज व गोपी पुत्रान रामचन्द को 2500 रूपये में विक्रय कर दिया और कब्जा संभलवा दिया। प्रति0 के पिता लेखराज पुत्र खुशीराम ने साविक खसरा नम्बर 2343 रकबा 1 वीघा 15 विस्वा, 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा किता–2 रकबा 3 वीघा वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम में अपने 1/3 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1500 रूपये में दिनांक 24.09.1979 को 1500 रूपये में वादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया। प्रेम,बिजेन्द्र,बच्चू व रामकुमार पिस0 भंभरी जाति जाट नि0 सिनसिनी ने साविक आराजी खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा,आराजी खसरा नम्बर 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, आराजी खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा वाके ग्राम सिनसिनी तहसील डीग में से 1/3 हिस्सा जो उन्होंने ननुआ पुत्र खुशीराम जाति जाट नि0 सिनसिनी से क्रय किया था को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 3000रूपये में तुरसी,हरीसिंह,लेखराज व गोपी पुत्रान रामचंद जाति जाट नि0 सिनसिनी को दिनांक 11.08.1980 को विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा संभलवा दिया। रामजीलाल का साविक खसरा नम्बर 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा वाके ग्राम सिनसिनी में से 1/3 हिस्सा को भी तुरसी,हरीसिंह,लेखराज व गोपी पुत्रान रामचंद जाति जाट नि0 सिनसिनी ने खरीद लिया। जिसके स्थान पर तुरसी,हरी सिह,लेखराज व गोपी को खातेदार दर्ज कर दिया गया। प्रति0 के पिता लेखराज पुत्र खुशीराम के साविक आराजी खसरा नम्बर 2347 में 2/3 हिस्सा एवं 2348, 2349 में 1/3 हिस्सा वाके ग्राम सिनसिनी को वादी संख्या 1 व 2 व वादी संख्या 3 के पिता तुरसी एवं लेखराज पुत्र रामचंद को विक्रय कर देने के कारण कोई हिस्सा उक्त आराजीयात मे शेष नहीं रहा भू–प्रबंध विभाग ने प्रति0 के पिता लेखराज पुत्र खुशीराम का साविक आराजी खसरा नम्बरान 2347, 2348, 2349 किता–3 रकबा 5 वीघा 1 विस्वा से बनाये गये हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम में कोई हिस्सा यान रकबा शेष नहीं होते हुए भी 15/82 हिस्से की खातेदारी प्रदान करदी जोकि खिलाफ मौका व रिकार्ड है। जबकि रामजीलाल,ननुआ सम्पूर्ण हिस्से पर व

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

लेखराज के कुछ हिस्से की आराजी पर वादीगण को खातेदारी प्रदान करदी है। प्रति0 के पिता लेखराज पुत्र खुशीराम के नाम हो रहे गलत खातेदारी का पता वादीगण को माह जून 2023 में रिकार्ड देखने एवं जमाबन्दी की नकलें लेने से लगा। जबकि प्रति0 के पिता लेखराज पुत्र खुशीराम अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर देने एवं कब्जा देने के कारण आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। वादीगण ही 15/82 हिस्से में से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/4 हिस्से की यानि 15/328 हिस्से की वादी संख्या 3, 1/4 हिस्से की यानि 15/328 हिस्से एवं वादी संख्या 4 व 5, 1/4 हिस्से यानि 15/328 हिस्से की खातेदार होने होने बावत घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड में हो रहे लेखराज पुत्र खुशीराम के नाम इन्द्राज को कलमजन कराकर इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि साविक आराजी खसरा नम्बरान 2347, 2348, 2349 किता–3 रकबा 5 वीघा 1 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग में लेखराज पुत्र खुशीराम जाति जाट नि0सिनसिनी के नाम 15/82 हिस्से की खतोदारी के हो रहे इन्द्राज गलत है तथा कलमजन के है तथा वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 15/328 हिस्से की, वादी संख्या 3, 15/328 हिस्से, वादी संख्या 4 व 5, 15/328 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि वर्णित आराजी में रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.10.2023 को प्रति0 संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 08.05.2024 को प्रति0 संख्या 1 व 2 तथा 4 लगायत 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 3 के विरूद्व दिनांक 28.10.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 25.11.2024 को साक्ष्य वादी में वलवीर पुत्र हरी सिंह का शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 03.01.2025 को साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 बलवीर सिंह,पीडब्ल्यू–2 में गोपी पुत्र रामचंद तथा पीडब्ल्यू–3 मे अमर सिंह के बयान कराये जाकर साक्ष्य वादी बंद की गई।

दावे में वकील वादीगण की दिनांक 27.01.2025 को बहस सुनी गई।

हमने वादी के वादपत्र,गवाह पीडब्ल्यू–1, बलवीर सिंह, पीडब्ल्यू–2 गोपी, पीडब्ल्यू–3 अमर सिंह के बयान, पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2074–2077 हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 प्रदर्श–2 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2032 साविक खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा,प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्बत 2022 से 2025 साविक खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2032 साविक खसरा नम्बर 2348, 2349 प्रदर्श–6 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1980 साविक खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा, 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा रामजीलाल वल्द लेखराज पुत्रगण श्री खुशीराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा तुरसीराम व हरी सिंह व लेखराज व गोपी पुत्रगण रामचन्द को विक्रय किया। प्रदर्श–7 कारे व प्रेम व विजेन्द्र व बच्चू व रामकुमार पुत्रगण भमरी ने साविक खसरा नम्बर 2343 रकबा 1 वीघा 15 विस्वा के हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 2348 रकबा 1वीघा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

1 विस्वा 1विस्वा का 1/3 हिस्सा खसरा नम्बर 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा से हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा से हि0 1/6 तुरसी व लेखराज व हरीसिंह व गोपी पुत्रगण रामचन्द को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.08.80 को विक्रय कर दिया। प्रदर्श— लेखराज पुत्र खुशीराम ने आराजी खसरा नम्बर 2343 रकबा 1 वीघा 15 विस्वा, 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र दिनांक 24.09.79 को गोपी पुत्र रामचन्द के पक्ष में इकरारनामा पंजीबद्व कराया। प्रदर्श—9 लेखराज पुत्र रामचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2006 को हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा बलवीर सिंह, अमर सिंह पि0 हरी सिंह को विक्रय किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया।

प्रदर्श:—1,जमाबन्दी सम्बत 2074से 2077 में खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 में प्रतिवादी लेखराज पुत्र खुशीराम हि0 15/82 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श—2,भू—प्रबंध मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 है। साविक खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा, 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा से मिलकर बना है। प्रदर्श—3, जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2032 में साविक खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा में लेखराज पुत्र खुशीराम 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज है। प्रदर्श—5, जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2032 में साविक खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा, 2349 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा में लेखराज पुत्र खुशीराम हि0 1/3 का खातेदार दर्ज है। प्रदर्श—6 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1980 रामजीलाल व लेखराज पुत्रगण खुशीराम ने खसरा नम्बर 2347 रकबा 2 वीघा 15 विस्वा में रामजीलाल हि0 1/6 व लेखराज हि0 2/3 व इसी प्रकार खसरा नम्बर 2348 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा में मजकूर हिस्सेदार में अपने हिस्से की तीन वीघा भूमि तुरसीराम व हरिसिंह व लेखराज व गोपी पुत्रगण रामचन्द को विक्रय कर दिया इसके बाबजूद भू—प्रबंध कार्मिकों की गलती से साविक खसरा नम्बर 2347, 2348, 2349 से बने हाल खसरा नम्बर 1240 में लेखराज पुत्र खुशीराम हि0 15/82 दर्ज चला आ रहा है। जिसे वादीगण कलमजन कराये जाने के अधिकारी है।

ऐसी स्थिति में हम उपर्युक्त विवरण अनुसार दावा वादीगण रिकार्ड से सावित होने की स्थिति में स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.82 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग से लेखराज पुत्र खुशीराम का हि0 15/82 कलमजन किया जाकर वादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक 15/328 हिस्से के, वादी संख्या 3, 15/328 हिस्से के, वादी संख्या 04 व 05 हिस्सा बराबर 15/328 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वर्णित विवादित आराजी पर मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी